

कार्यालय:-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शामली स्थित कैराना।

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के प00त्र संख्या-287/एसएलएसए-99/2019

(हैदर/आर०आई०) दिनांकित 26 जनवरी, 2022 के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शामली द्वारा लीगल

एड डिफेन्स काउन्सिल कार्यालय हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

S.N.	Name of the Post	No. of Post	Qualification/Experience
1.	Chief Legal Aid Defence Counsel	01	<ul style="list-style-type: none"> Practice in criminal law for at least 10 years, Excellent oral and written communication skills, Excellent understanding of criminal law, Thorough understanding of ethical duties of a defence counsel, Ability to work effectively and efficiently with others with capability of lead, Must have handled at least 30 criminal trials in Sessions Courts, aforesaid condition of handling of 30 criminal cases can be relaxed in appropriate circumstances, Knowledge of computer system, preferable Quality to lead the team with capacity to manage the office.
2.	Deputy Chief Legal Aid Defence Counsel	01	<ul style="list-style-type: none"> Practice in criminal law for at least 7 years, Excellent understanding of criminal law, Excellent oral and written communication skills, Skill in legal research, Thorough understanding of ethical duties of a defence counsel, Ability to work effectively and efficiently with others with capability of lead, Must have handled at least 20 criminal trials in Sessions Courts, may be relaxed in exceptional circumstances, by Hon'ble Executive Chairman, SLISA, IT Knowledge with proficiency in work.
3.	Assistant Chief Legal Aid Defence Counsel	02	<ul style="list-style-type: none"> Practice in criminal law for at least 0 to 3 years, Good oral and written communication skills, Thorough understanding of ethical duties of a defence counsel, Ability to work effectively and efficiently with others with capability of lead. Excellent writing and research skills, IT Knowledge with high proficiency in work.

(The work profile, termination of services, code of ethics, entitlement of leave and other terms and conditions etc. of Chief/Deputy/Assistant Legal Aid Defence Counsel, shall be governed by the enclosed NALSA Guidelines and LADCS scheme.)

अतः इच्छुक आवेदक/अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शामली के कार्यालय में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दिनांक 15.02.2024की सायं 05.00 बजे तक जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ दो नवीनतम पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ्स एवं दो स्वयं लिखा पता लिफाफा मय पंजीकृत टिकट संलग्न करें। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर समिति द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा

अधिक जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाईट www.upsisa.up.nic.in एवं e-Courts की वेबसाईट <https://shamli.dcourts.gov.in> तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शामली के कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।

(प्रतिभा)

दिनांक-31.01.2024

प्रभारी सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

शामली।

प्रतिलिपि-

- 1.माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शामली को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2.श्रीमान प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर), जनपद न्यायालय शामली को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापन की प्रति को जनपद न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें।
- 3.जिला सूचना अधिकारी, शामली को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापन को समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क व जनहित में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 4.श्रीमान तहसीलदार शामली/कैराना/ऊन को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापन की प्रति को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें।
5. श्रीमान अध्यक्ष/महामंत्री बार एसोसिएशन शामली/कैराना को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापन की प्रति को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें।
- 6.श्रीमान अध्यक्ष/महामंत्री तहसील बार एसोसिएशन शामली/कैराना/ऊन को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापन की प्रति को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने निर्देशित करने की कृपा करें।
- 7.केंद्रीय नाजिर, जिलाधिकारी शामली को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापन की प्रति को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें।
- 8.केंद्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय शामली को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापन की प्रति को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें।

(प्रतिभा)

प्रभारी सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

शामली।